न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 597/2026
अरमान बाबू बनाम बिहार सरकार
[भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या– 59/2025]

आदेश

06.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **अरमान बाबू पे0 अकबर हुसैन** जो इस मामले में दिनांक **13.04.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या–597/2026, भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या–59/2025, अंतर्गत धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि सूचक वर्ष 2021 से अपने ग्राम भगवानपुर सोंधानी रोड में वार्ड नम्बर 05 में स्थित अपने मकान के अंदर से सोना, चांदी की दुकान चला रहे थे। प्रतिदिन की तरह सूचक आज भी दुकान सुबह 10:00 बजे खोलकर रखे थे। इसी बीच दोपहर के लगभग 02:40 बजे अचानक आए लोग घुस गए जिनमें तीन लोगों के पास छोटा बंदुक था। दो बाहर घर के खड़े थे। छह दुकान में घुस गए थे। एक का चेहरा खुला था। एक हेलमेट पहना हुआ था और चार मुंह बांधा हुआ था। सूचक पर एक व्यक्ति ने बंदुक सर पर तान दिया था। सभी की उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच था जिसमें एक व्यक्ति हल्का मोटा था। बाकी सभी लगभगम सामान्य कद, काठी के थे। लम्बाई लगभग पांच फीस से साढ़े पांच फीट के आसपास था। सूचक के दुकान से एक प्लॉस्टिक के डब्बा से लगभग 200 ग्राम सोने के आभूषण लेकर भाग गया जिसमें सोने का अंगूठी, तीन अंगुठी, हार तीन, कान एवं गला का लॉकेट आदी था। वे लोग एक उजला रंग का प्लॉस्टिक का बोरा में चांदी का जेवर भर के ले जाकर सूचक के घर के सामने सड़क पर छोड़ कर सोंधानी बाजार की तरफ भाग गए। वे लोग तीन मोटर साईकिल से थे। जिसमें दो स्पलेंडर एवं एक ग्लैमर था।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से न ही कोई अग्रिम जमानत आवेदन और न ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में या इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। आवेदक दिनांक 13.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक प्राथमिकी के नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदक के पास से किसी भी वस्तु को बरामद नहीं किया गया है और आवेदक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आवेदक को गांव की गंदी राजनीति के कारण इस झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक का नाम इस मामले में सह–अभियुक्त दीप रंजन के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 597/2026
अरमान बाबू बनाम बिहार सरकार
[भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या– 59/2025]

06.06.2026

लगातार

अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या–59/2025, अंतर्गत धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर 200 ग्राम सोने की लूट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा एक अन्य मामला पंजीकृत है। आवेदक के भौतिक कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 13.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस कांड के अन्य सह–अभियुक्तगण को पूर्व में जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला भी जमानत प्राप्त अभियुक्तगण के समान है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **अरमान बाबू** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त के निकट संबंधी होगें जो इस बात का अंडरटेकिंग देंगे कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देंगे। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं या विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त/आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.06.2026

Date of Order/Judgment	06.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	06.06.2026
Uploading Date	10.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT